**प्रेस नोट सं0 16**

**दिनांक 11.12.2024**

**सराहनीय कार्य थाना जामो व स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।**

**24 घण्टे में हत्या का खुलासा, हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 10.12.2024 को थाना जामो पर वादी श्री रजनीश कुमार मिश्र पुत्र स्व0 चन्द्रपाल मिश्र निवासी जोरावरपुर मठिया कल्याणपुर थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि वादी का पुत्र संजीव मिश्र दिनांक 09.12.2024 को अनुज सिंह जो कि भवन शाहपुर के निवासी हैं, के यहां शादी में गया था। रात्रि में शादी से वापस नहीं लौटने पर संजीव मिश्र को फोन लगाये तो फोन रिसीव नहीं हुआ। दिनांक 10.12.2024 को प्रात: करीब 08:30 बजे गांव वालों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र संजीव मिश्र की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव को संतोष तिवारी के खेत में फेंक दिया है। उक्त सूचना पर थाना जामो पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त घटना के शीघ्र खुलासे व अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 11.12.2024 को श्री विनोद कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जामो मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना जामो जनपद अमेठी में प्रकाश में आये अभियुक्त आदित्य मिश्रा पुत्र रमेश कुमार निवासी राजामऊ थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष को कल्यानपुर मोड़ के पास से समय करीब 09.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया एवं उ0नि0 जगदेवन राजवंशी थाना जामो मय हमराही द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये दूसरे अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी जामो थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष को बाबूपुर तिराहा के पास से समय करीब 12.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया।

**पूछताछ का विवरण -** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य मिश्रा ने बताया कि **मै व संजीव कुमार मिश्र (मृतक) एक साथ मिलकर जामो में डिवाइन किंडर प्ले स्कूल का संचालन करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बहन उसमें पढ़ाने जाने लगी उसी अवधि में संजीव मेरी बहन से बातचीत करने लगा जो बात मुझे नागवार लगी।** मेरे कई बार मना करने के बाद भी वह नहीं माने और मेरी बहन से लगातार टेलीफोन आदि से बात करते रहे। कुछ अन्य लोगों ने भी मुझे ये बात बतायी जिससे मैं अन्दर से बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था व क्षेत्र में मेरी बदनामी हो रही थी। तभी से मै संजीव को मारने के लिए मौके की तलाश में था। दिनांक 09.12.2024 को मैने व संजीव ने पूरे दिन साथ रहकर शराब पी तथा बाद में हम दोनो अनुज सिंह की बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए उसके घर गये। वहीं पर मुझे विशाल मिला। मैने विशाल से अपनी योजना बताते हुये मदद मांगी। योजना के अनुरूप मै संजीव को मोटरसाइकिल से लेकर कुछ सामान लाने के बहाने आगे निकला एवं रास्ते में ही विशाल मिल गया। **हम तीनों लोग एक मोटरसाइकिल से शिवपुर में संग्राम सिंह के स्कूल के पास रुककर संजीव से फिर से शराब पीने के बहाने विशाल को रोड पर रोककर हमदोनों आगे चले गये। तभी मैने मौका पाकर संजीव मिश्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से अपने तमंचे से फायर कर दिया परन्तु संजीव को गोली नहीं लगी तभी संजीव भागने लगा। मेरी व संजीव की हाथापाई हुयी जिससे कुछ दूर भागने के उपरान्त संजीव लड़खड़ा कर गिर गया तभी मै संजीव के ऊपर तमंचे की बट से चेहरे व गर्दन पर कई वार किये जिससे संजीव अचेत हो गया तदोपरान्त मैने इत्मिनान से अपने हाथों से संजीव की गला दबाकर हत्या कर दी** व रास्ते में नहर के बगल झाड़ी में तमंचा छिपा दिया। उसके बाद मै व विशाल शादी में चले गये जिससे हमलोगों पर किसी को कोई शक न हो।

अभियुक्त आदित्य मिश्रा की निशानदेही पर नहर के किनारे झाड़ियों से 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर थाना जामो पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारी का स्थान-** कल्यानपुर मोड़/ बाबूपुर तिराहा । **दिनांक -** 11.12.2024, **समय-** करीब 09.30 बजे दिन व 12.30 बजे दिन में ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –**

1. आदित्य मिश्रा पुत्र रमेश कुमार निवासी राजामऊ थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. विशाल सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी जामो थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।

**पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -**

- मु0अ0सं0 300/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0, 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी । (में प्रकाश में आये)

**बरामदगी –**

- आलाकत्ल 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

**टीम सं0 01-**

1. श्री विनोद कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जामो जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 हरदेव बहादुर सिंह थाना जामो जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 दलजीत सिंह थाना जामो जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 संतोष कुमार यादव थाना जामो जनपद अमेठी ।
5. का0 सुनील कुमार यादव थाना जामो जनपद अमेठी ।
6. का0 दानिश अली थाना जामो जनपद अमेठी ।

**टीम सं0 02 -**

1. उ0नि0 जगदेवन राजवंशी थाना जामो जनपद अमेठी ।
2. का0 शिवराज सिंह थाना जामो जनपद अमेठी ।

**टीम सं0 03 –**

1. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 बृजेश कुमार सर्विलांस सेल जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 आशीष सिंह चौहान सर्विलांस सेल जनपद अमेठी ।
4. का0 शिवराम स्वाट टीम जनपद अमेठी ।
5. का0 सिकन्दर स्वाट टीम जनपद अमेठी ।